

समक्ष माननीय जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जयपुर-
तृतीय, जिला-जयपुर (राज.)

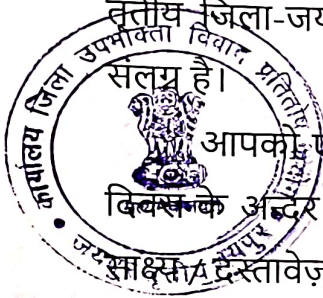
(फार्म नं० 3)

परिवाद संख्या- 50/ 2025

परिवाद अंतर्गत धारा-35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

राव धनबीर सिंह बनाम 1. कलक्टर कोटपुतली, जिला कोटपुतली बहरोड़
2. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार पता: शासन
सचिवालय जयपुर, (राज.)-302005

आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राव धनबीर सिंह पुत्र राव देशराज सिंह निवासी- मकान नंबर 02 / आई / 40 आर.के. पुरम, हाउसिंग बोर्ड कोटपुतली, जिला कोटपुतली बहरोड़ ने इस जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जयपुर-तृतीय जिला-जयपुर (राज.) के समक्ष एक परिवाद पेश किया है, जिसकी प्रतिलिपि



आपको एतद्वारा निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर अपना पक्ष प्रस्तुत करे एवं अपने बचाव में पेश करने वाले समस्त दस्तावेज को पेश करें।

आपको पुनः सूचित किया जाता है कि प्रकरण की सुनवाई दिनांक 8 / 9 / 2025 को 10:00 बजे दिन में रखी गई है। यदि आप स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होने में असफल रहे तो उपर्युक्त सुनवाई की तारीख पर परिवाद का एकपक्षीय निर्णय कर दिया जावे जाएगा।

दिनांक: 7 / 07 / 2025

अध्यक्षीकरीडर
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोष आयोग
जयपुर तृतीय जयपुर
जिला उपभोक्ता प्रतिरोष आयोग
जयपुर (तृतीय) जयपुर राज.

समक्ष माननीय जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जयपुर-
तृतीय, जिला-जयपुर (राज.)

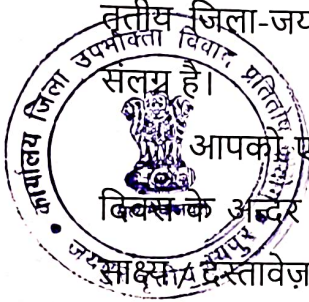
(फार्म नं० 3)

परिवाद संख्या- 50/ 2025

परिवाद अंतर्गत धारा-35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

राव धनबीर सिंह बनाम 1. कलक्टर कोटपूतली, जिला कोटपूतली बहरोड़
2. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार पता: शासन
सचिवालय जयपुर, (राज.)-302005

आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राव धनबीर सिंह पुत्र राव देशराज सिंह निवासी- मकान नंबर 02 / आई / 40 आर.के. पुरम, हाउसिंग बोर्ड कोटपूतली, जिला कोटपूतली बहरोड़ ने इस जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जयपुर-तृतीय जिला-जयपुर (राज.) के समक्ष एक परिवाद पेश किया है, जिसकी प्रतिलिपि



आपको एतद्वारा निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर अपना पक्ष प्रस्तुत करें एवं अपने बचाव में पेश करने वाले समस्त साक्ष्यों के दस्तावेज को पेश करें।

आपको पुनः सूचित किया जाता है कि प्रकरण की सुनवाई दिनांक 8 / 9 / 25 2025 को 10:00 बजे दिन में रखी गई है। यदि आप स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होने में असफल रहे तो उपर्युक्त सुनवाई की तारीख पर परिवाद का एकपक्षीय निर्णय कर दिया जावे जाएगा।

दिनांक : 7 / 07 / 2025

अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
जयपुर तृतीय, जयपुर
जयपुर (तृतीय) जयपुर राज.